

प्रेमक,
जिला शैक्षिक शिक्षा अधिकारी
भारणसी।

सेवा क्र.
प्रबन्धक,
सुनबीम स्कूल
चोलापुर-भारणसी।

पत्रांक./शैक्षिक/ 14022-24 /2015-2016/दिनांक: 31.3.2016

विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2006 की धारा-18 के प्रवचन के लिये नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 27-08-2015 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं सुनबीम स्कूल चोलापुर-भारणसी को तारीख 01-04-2016 से तारीख 31-03-2019 तक तीन वर्ष की अवधि तक के लिये कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिये प्रसिद्ध अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-

- 1- मान्यता को नजुरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाधकता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2006 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यमान कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक छात्र-छात्राई के सम्मेलन करने और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करेगा।
- 4- धारा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जावेगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन स्तर का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्तरीय प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का उचित न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उपरोधन के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई शोर्ट परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकृत किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शुल्कता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिकृत न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (viii) अध्यापक स्वयं ही किसी निजी स्थापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत प्राध्यापकों के आक्षेप पर प्राध्यापकों का पालन करेगा।

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
CHOLAPUR

अश्विनी कुमार शर्मा
Manager
Sunbeam School
Cholapur

उपस्थित / 2

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
CHOLAPUR

- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-18 में उल्लिखित विद्यालय के भवनों और संरचनाओं को बनाने रखाने। अन्तिम निर्देशों के साथ रिपोर्ट की तथा प्रयुक्तियों निम्नानुसार हैं-
- | | |
|--|--------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- | 2000 वर्गफिट |
| कुल निर्मित क्षेत्र- | 7300 वर्गफिट |
| क्रिडास्थल का क्षेत्रफल- | - |
| कबाड़ों की संख्या- | 10 |
| प्राच्यारण-सह कार्यालय सह भण्डारण के लिये कक्षा- | 02 |
| बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय- | उपलब्ध है। |
| पेयजल सुविधा- | उपलब्ध है। |
| मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई- | - - |
| बाधा रहित पहुँच- | उपलब्ध है। |
| अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूद उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता- | है |
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई भीर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलानी जायगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1890 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा उत्पन्न भवृत्ति किसी विधि से अधीन गणित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखायों को किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण को एक से अधिक वर्ष जिला बेलिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14- भवनों विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक प्रमाण में उपलब्ध है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय में साथ लिखी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय की रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यक्रम की कार्यवाही को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- विद्यालय प्रबंधक/सह द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख नुतिपूर्ण, पूर्ण एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गम मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधक/सह का होगा।

अतदीय

(आशुतोष शर्मा)
जिला बेलिक शिक्षा अधिकारी
वासुपत्नी।

पूरसं: /बेलिक /
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
/2015-2016/रसी तिथि को।

- 1- मध्यस्थीय सहकार्य शिक्षा निदेशक (बेलिक) एंजन मण्डल, वासुपत्नी।
- 2- सम्बन्धित उपाय शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र/स्थानीय क्षेत्र वासुपत्नी।

PARENTS
SUNBEAM SCHOOL
CHOLAPUR

अशुतोष शर्मा
Manager
Sunbeam School
Cholapur

(आशुतोष शर्मा)
जिला बेलिक शिक्षा अधिकारी
वासुपत्नी।

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
CHOLAPUR